

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 16.02.2024

आज दिनांक 16.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर *डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार* पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती *श्री आर0के0 भारद्वाज* के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3314 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल— पीआरवी 3314 को थाना मेहदावल क्षेत्रांतर्गत हरना से इवेन्ट संख्या 04449 से कालर द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 01 महिला (निर्मला पत्नी हरिशंकर पाण्डेय निवासी ग्राम हरना थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 05 मिनट में पहुँचकर मारपीट में घायल हुई महिला को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुई महिला को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 मयंक शेखर राय, हो0चा0 विनोद पाण्डेय ।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 80 वाहनों से 70,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 80 वाहनों से 70,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

“ऑपरेशन कनविकशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जनपद के टॉप-10 अपराधियों के 13 अभियोगों में कुल 03 अभियुक्तों को कठोर कारावास व अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन कनविकशन”* व *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन शिकंजा”* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप *एसजे/ एफटीसी द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा महुली पर पंजीकृत 1. मु0अ0सं0 230/2020 धारा 3(1) यूपी गैग्रेस्टर एक्ट 2. मु0अ0सं0 156/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शिवकमल गुप्ता उर्फ शेरू पुत्र लालमन नि0 पीडिया बेलहरा थाना महुली जनपद संतकबीर नगर को तथा *सिविल जज (जू0डि0)/ एफटीसी प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत 3. मु0अ0सं0 220/2000 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त ईदू पुत्र जहीर नि0 साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर 4. मु0अ0सं0 106/1995 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त ईदू पुत्र जहीर नि0 साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर 5. मु0अ0सं0 1252/2009 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त इसरार, चिमनू उर्फ चिकनू उर्फ मुच्छड़ पुत्रगण शहीर नि0 साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर 6. मु0अ0सं0 394/2012 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त इसरार पुत्र शहीर नि0 साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर 7. मु0अ0सं0 1558/2014 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त इसरार पुत्र शहीर नि0 साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर 8. मु0अ0सं0 55/2015 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त इसरार पुत्र शहीर नि0 साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर 9. मु0अ0सं0 839/2015 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त इसरार पुत्र शहीर नि0 साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर 10. मु0अ0सं0 853/2015 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 429 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त इसरार पुत्र शहीर नि0 साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर 11. मु0अ0सं0 94/2018 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त इसरार पुत्र शहीर नि0 साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर 12. मु0अ0सं0 1888/2017 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त इसरार पुत्र शहीर नि0 साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर 13. मु0अ0सं0 479/07 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 429 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त इसरार पुत्र शहीर नि0 साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर को संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी व संयुक्त निदेशक अभियोजन के फलस्वरूप जनपद के टॉप-10 अपराधियों के 13 अभियोगों में कुल 03 अभियुक्तों को कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

मिशन शक्ति अभियान 4.0 के तहत थाना महुली पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने, गाली देने तथा फोटो वायरल करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा *महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04)* के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री केशवनाथ* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना महुली पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 55/2024 धारा 366/376/504 भादवि व 67 आईटी एक्ट के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता बलवन्त चौहान पुत्र बृजभान चौहान निवासी ग्राम विश्वनाथपुर थाना महुली जनपद सन्त कबीर नगर को उसके घर ग्राम विश्वनाथपुर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त वादिनी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया व वादिनी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की व भद्दी भद्दी गाली दिया तथा वादिनी के साथ अपना फोटो वायरल कर वादिनी की शादी तुड़वा दिया गया, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को अविलंब गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पत्ता:-

1. बलवन्त चौहान पुत्र बृजभान चौहान निवासी ग्राम विश्वनाथपुर थाना महुली जनपद सन्त कबीर नगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार सिंह, का0 दुर्गेश यादव।

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के 01 अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व 200 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन कनविक्शन”* व *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन शिकंजा”* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 16.02.2024 को *न्यायालय – सी0जे0(जे0डी0) एफ0टी0सी0 -1/जे0एम0, जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 203/1994 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलों में अभियुक्त नाम पता सुरेश पुत्र कुमार हरिजन निवासी ग्राम बंजरिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीर नगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बिताई गयी अवधि व 200 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 16.02.2024*

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 04 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 16.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 04 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। ***थाना मेहदावल*** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।